दिनांक 27.02.2023
प्रेस विज्ञप्ति 28/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना मोहाना

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन, नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 27.02.2023 को थाना मोहाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिल्हिया मोड़, बर्डपुर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुरूचरन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सिद्धार्थनगर, उन्नाव, गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मोहाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुरूचरन निवासी डुमरियाडीह खटिकनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—02 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना बिठौली

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध शस्त्र 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.02.2023 की रात्रि थाना बिठौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मर्दानपुरा के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त अशोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध शस्त्र 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट आगरा में पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिठौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अशोक निवासी घुरैय्या खेड़ा थाना दिहौली जनपद धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध शस्त्र 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना निगोही

- **10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/डकैती के माल ब्रिकी के 02 लाख 71 हजार रूपये नगद**
- **चॉदी के आभूषण, चॉदी के सिक्के, नोट**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनॉकः 27.02.2023 को क्राइम ब्रान्च शाहजहॉपुर व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर निगोही रोड़ स्टैण्ड निकट अशफाकनगर तिराहा से 10

अभियुक्तों 1–सुमेर उर्फ डेनी 2–प्रेमचन्द उर्फ राजेश 3–मदन उर्फ चौखे 4–ओंमकार 5–पप्पू 6–जगदीश 7–हुक्म सिंह 8–भूरा 9–टिल्लू 10–अवतार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/डकैती के माल ब्रिकी के 02 लाख 71 हजार रूपये नगद, चॉदी के आभूषण, चॉदी के सिक्के, नोट, चोरी करने के उपकरण, चेकबुक, आधार कार्ड आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, चॉदी के आभूषण, सिक्के आदि बिहार प्रदेश के डकैती की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुमेर उर्फ डेनी निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

2–प्रेमचन्द उर्फ राजेश निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

3–मदन उर्फ चौखे निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

4–ओंमकार निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

5–पप्पू निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

6–जगदीश निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

7–हुक्म सिंह निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

8–भूरा निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

9–टिल्लू निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

10–अवतार निवासी ग्राम मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी/डकैती के माल ब्रिकी के 02 लाख 71 हजार रूपये नगद।

2–चॉदी के आभूषण, चॉदी के सिक्के, नोट।

3–चोरी करने के उपकरण ।

4–चेकबुक, आधार कार्ड आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना बिछवां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 40 बैट्री छोटी–बड़ी (ट्रैक्टर/इन्वर्टर)**
- **चोरी के 03 इन्वर्टर, 02 टायर रिम, 02 ट्राली,**
- **चोरी के 01 एल0ई0डी0 स्क्रीन, 01 की बोर्ड, 01 माउस**
- **02 मोबाइल फोन, अन्य सामन आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.02.2023 को थाना बिछवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लहरा के पास से 02 अभियुक्तों 1–उमेश 2–जीतू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 40 बैट्री छोटी–बड़ी (ट्रैक्टर/इन्वर्टर की), चोरी के 03 इन्वर्टर, 02 टायर रिम, 02 ट्राली, चोरी के 01 एल0ई0डी0 स्क्रीन, 01 की बोर्ड, 01 माउस, 02 मोबाइल फोन, अन्य सामन आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि जनपद मैनपुरी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद बैट्री, इन्वर्टर, टायर रिम आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त उमेश के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 15 अभियोग व अभियुक्त जीतू के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, एटा के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिछवां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमेश निवासी ग्राम अलूपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

2–जीतू निवासी ग्राम अलूपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—चोरी की 40 बैट्री छोटी—बड़ी (ट्रैक्टर/इन्वर्टर)।

2—चोरी के 03 इन्वर्टर, 02 टायर रिम, 02 ट्राली।

3—चोरी के 01 एल0ई0डी0 स्क्रीन, 01 की बोर्ड, 01 माउस।

3—02 मोबाइल फोन, अन्य सामन आदि।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौलीबाजार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 05 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.02.2023 को थाना अहिरौलीबाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुण्डेरा लाला मोड़ के पास से अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी के 05 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना अहिरौलीबाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहिरौलीबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौलीबाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी रेतवहिया थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 05 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 27 किलो 350 ग्राम अवैध तांबे का तार**
- **04 बिजली की मोटर, नगद रूपये**
- **05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.02.2023 को थाना औरंगाबाद व थाना अहमदगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीकमपुर तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–साजिद 2–शहजाद 3–आकिल 4–शौकिन 5–दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 27 किलो 350 ग्राम अवैध तांबे का तार, 04 बिजली की मोटर, नगद रूपये, 05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त साजिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त शहजाद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट,

आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग एवं अभियुक्त आकिल के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद तार, मोटर, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साजिद निवासी कलौंदा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—शहजाद निवासी कलौंदा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—आकिल निवासी कलौंदा थाना जारचा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4—शौकिन निवासी मलगौसा थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

5—दिनेश निवासी मुक्तिबाड़ा कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी के 27 किलो 350 ग्राम अवैध तांबे का तार।

2—04 बिजली की मोटर, नगद रूपये।

3—05 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद सुलतानपुर/थाना कोतवाली देहात

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण**
- **नगद रूपये बरामद**

दिनांक 27.02.2023 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1—महबूब आलम उर्फ शेरू 2—विनोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण, नगद रूपये बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महबूब आलम उर्फ शेरू निवासी रामनगर बनकट थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर।

2—विनोद निवासी पकड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1—चोरी के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण।

2—नगद रूपये।

जनपद अयोध्या/थाना रौनाही

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 27.02.2023 को थाना रौनाही व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काँटा चौराहा के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—अमित 2—निर्भय 3—श्यामवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रौनाही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित निवासी गोरीपुर थाना बागपत जनपद बागपत।

2—निर्भय निवासी ढिढाला थाना परतापुर जनपद मेरठ।

3—श्यामवीर निवासी मुड़रह थाना जेवर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख रूपये कीमत के अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 ट्रक।

- **जनपद बिजनौर/थाना मण्डावली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहित उर्फ मोनू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद सोनभद्र पुलिस ने अभियुक्त शेरखान पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम खुटहनिया थाना करमा जनपद सोनभद्र द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 04 लाख 50 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

——————